फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अर्जुनराम बनाम कंवरसैन आदि

किस्म मुकदमाः–212 आरटीए प्रकरण संख्याः–222/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थन पत्र को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी संख्या 1–2 के नाम से चक 1 बी.एन.एम. की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 7/35 के पत्थर संख्या 17/31 (74) के किला संख्या 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर अ0क0 व पत्थर संख्या 17/47 (72) के किला संख्या 1 ता 3, 5, 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.479 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 कुल 8.804 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1–2 के 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1–2 के उपर्युक्त 1/4–1/4 हिस्सा के रकबा में से अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं ने व अप्रार्थी संख्या 2 की सहमति से उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 3 महेन्द्र ने दिनांक 22.11.2022 को उनके नाम के रकबा में से उनके कब्जा के घरू बंटवारा में पत्थर संख्या 17/47 के किला नं. 1 ता 3,5,9,10 ता 12, 19 ता 22 की 2.479 हैक्टर भूमि में से 7.10 बीघा रकबा जिसमें अप्रार्थी नं. 1 का 3.00 बीघा व अप्रार्थी संख्या 2 का 4.10 बीघा भूमि को दो वर्ष के लिए दिनांक 15.12.2022 से 14.12.2024 तक काश्त करने के लिये ठेका पर लेकर जैरवाद रकबा का कब्जा प्रार्थी को सौंप दिया था। प्रार्थी ठेका दिनांक 22.11.2022 से उक्त 7.10 बीघा रकबा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त रकबा में फसल सावणी का बिजान्त कर रखा है। अप्रार्थीगण अब उक्त रकबा को बेचान कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। जैरवाद रकबा का कब्जा प्रार्थी ने ठेकानामा की राशि चुकाकर प्राप्त किया था। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि पुरी होते ही आगामी वर्ष का भुगतान अप्रार्थीगण को कर दिया जावे। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जैरवाद रकबा में से प्रार्थी को ठेकानामा की अवधि दिनांक 14.2024 तक बेदखल ना करने बाबत् पाबंद किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी संख्या 1–2–3 ने अपनी रिकार्डेड खातेदारी भूमि में से 7.10 बीघा भूमि दिनांक 22.11.2022 को एक वर्ष के लिये ठेका पर दी एवं दुसरे वर्ष की आगामी वर्ष अप्रार्थी संख्या 1–2 की सहमति से देना तय हुआ। इस पर दिनांक 15.12.2022 सावणी की फसल तक अवधि पूर्ण होती है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1–2 ने प्रार्थी को आगामी वर्ष पर काश्त नही देना का दो माह पूर्व बताया गया जबकि उक्त जैरवाद रकबा को अप्रार्थी संख्या 1–2 स्वयं काश्त कर रहे है। इस पर प्रार्थी ने सहमति से कब्जा अप्रार्थीगण को सौंप दिया था। ठेकानामा के आधार पर खातेदार काश्तकार की भूमि पर जबरन कब्जा का अधिकार कानूनी अधिकार नही है। अप्रार्थीगण ने एक वर्ष का ठेका लिया दुसरे वर्ष का ठेका लिया ही नही जिसे स्वयं प्रार्थी स्वीकार कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1–2 ने आगामी वर्ष की ठेका राशि प्राप्त नही की है। इसलिये दुसरे वर्ष के लिये ठेका पर भूमि नही दी है। प्रार्थी ने जानबुझकर अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से एकतरफा तौर पर स्थगन प्राप्त किया है। इससे अप्रार्थीगण को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय टी0आई0 निरस्त किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने दिनांक 22.11.2022 को प्रार्थी को दो वर्ष यानि दिनांक 15.12.2022 से दिनांक 14.12.2024 तक ठेका पर फसल काश्त करने के लिये दी था। जिसके लिये एक वर्ष की ठेका राशि दिनांक 22.11.2022 को प्राप्त कर ली थी तथा अगले वर्ष की राशि आगामी वर्ष में प्राप्त करने हेतु करार किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने एक वर्ष की ठेका राशि प्राप्त की है। अगले वर्ष की राशि प्राप्त नही की है। इसलिये खातेदार कृषक को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र व दिनांक 10.10.2023 को जारी टी0आई0 भी निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 10.10.2023 को जारी टी0आई0 भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़